



2026:AHC:22513

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या 2148 वर्ष 2026

सहादत खान
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जैनेन्द्र कुमार पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप खंड मजिस्ट्रेट, मंझनपुर, कौशंबी को दिनांक 03.02.2025/05.02.2025 को दायर पुनर्स्थापना आवेदन पर वाद संख्या 6802 वर्ष 2023 (सहादत खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/उप खंड मजिस्ट्रेट, मंझनपुर, कौशंबी को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायर पुनर्स्थापना आवेदन पर विधि के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें, यदि कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

2 फरवरी, 2026

सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"